रजिस्ट्री संख्या डी एल-33001

REGISTERED NO. DL-33001/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29, 1994 (माघ 9, 1915)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 29, 1994 (MAGHA 9, 1915)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधियां नियमों विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	61
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	81
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	191
खण्ड II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	—
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश भी शामिल हैं) के हिन्दी में अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 उप-खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	97
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	87
भाग III—खण्ड 3—कुछ आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन संघ द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	755
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . .	17
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	61
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	81
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .	—
PART II—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	191
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	97
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	87
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	755
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	17
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 1994

विषय : जलीय अनुसंधान संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति का पुनर्गठन

सं० के० ज० आ० सं० 10/9/93/भार० एण्ड डी०/—जलीय अनुसंधान संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति के पुनर्गठन के संबंध में पहले के संकल्प आदेश सं० 21/3/89-स्था० II (ए) दिनांक 29-10-1990 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार निम्नलिखित संरचना, कार्यों और संबंध प्रावधानों के साथ समिति का पुनर्गठन करती है :—

1. संरचना

अध्यक्ष

(क) निदेशक — केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे ।

सदस्य

(ख) मुख्य अभियंता (अभि० एवं अनुसंधान) जिसका नामांकन सदस्य (अभि० एवं अनुसंधान) द्वारा किया जाना है । — केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।

(ग) मुख्य अभियंता (जल विद्युत स्कंध) जिसका नामांकन सदस्य (जल विद्युत स्कंध) द्वारा किया जाना है । — केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली ।

(घ) मुख्य अभियंता जिसका नामांकन अध्यक्ष द्वारा किया जाना है । — केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, सी० बी० डी० ब कार्यालय काम्प्लैक्स, ईस्ट अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032

(ङ) उपाध्यक्ष — गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, सिंचाई भवन, पटना-800015

(च) एक प्रतिनिधि — भारतीय पम्प विनिर्माता संघ काकड़ चैम्बर्स, वर्ली, बम्बई-18 ।

(छ) प्रमुख अभियंता से अधिक — क्रमावर्तन आधार पर तीन राज्य

(ज) मुख्य अभियंता (जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा)

सदस्य

(झ) निदेशक जलीय से अनुसंधान — आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, कर्नाटक,

(ञ) प्रयोगशाला/संस्थान — मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ।

(ट) जलीय विज्ञान में संबंधित राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संघों के सदस्यों में जलीय से अनुसंधान के क्षेत्र में

(ठ) कार्य कर रहे तीन विख्यात शिक्षाविद्

(जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा ।)

(ड) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष — भारतीय जलीय विज्ञान समिति

(ढ) निदेशक (अनुसंधान एवं विकास एवं विशिष्ट विश्लेषण) । — केन्द्रीय जल आयोग, विषयवस्तु प्रभाग का प्रधान ।

सदस्य-सचिव

(ण) मुख्य अनुसंधान अधिकारी — केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे ।

2. समिति के कार्य निम्न प्रकार होंगे :—

2.1 (क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को जलीय इंजीनियरी संबंधित मामलों में सलाह देना ।

(ख) समिति को परामर्श देने हेतु विशेष समस्याओं पर विचार करने के लिए विशेष कार्य दल/विशेषज्ञों का पैनल नियुक्त करना।

2.2 (क) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संबंधित जानकारी एकत्र करके और उसका प्रचार-प्रसार करके जलीय इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं में नवीनतम विकास को तैयार करना और इसे अद्यतन करना ।

(ख) जलीय इंजीनियरी के विकास के ऐतिहासिक मूल्यांकन का अध्ययन करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए परिप्रेक्ष्य आयोजना आरंभ करना ।

(ग) पत्रिकाओं, अनुसंधान संबंधी समाचारों/सार-संग्रह का प्रकाशन करके जलीय इंजीनियरी संबंधित जानकारी का प्रचार-प्रसार करना ।

2.3 (क) जलीय इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं के गुणवत्ता क्षेत्रों को मान्यता देने की सिफारिश करना और उनके लिए केन्द्रीय वित्त की व्यवस्था करने की सिफारिश करना।

(ख) जलीय अनुसंधान संस्थाओं के अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करने की सिफारिश करना।

(ग) विभिन्न संस्थाओं के अनुसंधान कार्यक्रमों में परस्पर व्याप्ति बचने के लिए प्रभावी समन्वय बनाये रखना।

(घ) मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जिससे कि अनुसंधान कर्मचारियों को विशेषता हासिल हो सके और उत्कृष्ट अनुसंधान कार्मिकों को प्रोत्साहन देने की सिफारिश करना।

2.4 (क) देश में अनुसंधान कार्यकलापों के स्तर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के उद्देश्य से जलीय इंजीनियरी के ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जहां तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है अथवा जिसमें नई प्रवृत्तियां लाने की जरूरत है।

(ख) मूल एवं प्रायोगिक अनुसंधान, क्रिया संबंधी अनुसंधान एवं अन्य क्षेत्रों के संबंध में देश की संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रमों को तैयार करना, समन्वय करना और वित्त की व्यवस्था करने की सिफारिश करना।

(ग) ऐसे क्षेत्रों में, जिन्हें समिति द्वारा अभिरुचि/प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है, अनुसंधान अध्ययनों और विकासात्मक कार्यकलापों को शुरू करने के वास्ते राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देना, आवश्यकतानुसार समिति विशिष्ट विषय में अनुसंधान/विकास कार्य शुरू करने के लिए संस्थाओं को नामांकित कर सकती है।

(घ) जलीय इंजीनियरी में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को शुरू करने, सूचना का प्रचार-प्रसार, जनचेतना कार्यक्रम में हिस्सेदारी आदि के वास्ते स्वैच्छिक व्यावसायिक निकायों, गैर-वाणिज्यिक, गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना।

(ङ) अन्य राष्ट्रीय समितियों/ बोर्डों, संबंधित भारत सरकार/राज्य के मंत्रालयों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, इंजीनियरी महाविद्यालयों और पोलीटेकनीकों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ प्रभावी सहयोग बनाए रखना।

(च) जलीय इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी कार्य शुरू करने के वास्ते ऋण मुहैया करके देशी उद्योग को बढ़ावा देना।

(छ) जलीय इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसंधान योजनाओं के संबंध में कार्यकारी संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का प्रबोधन करना।

2.5 (क) जलीय इंजीनियरी संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत की प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देना और समन्वय करना तथा आवश्यकतानुसार ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के लिए राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य करना।

(ख) जलीय इंजीनियरी के क्षेत्र में शैक्षणिक और प्रशिक्षण एवं जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

(ग) जन चेतना कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए गोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं की व्यवस्था करना और आयोजन करना।

3. बैठक

समिति की आवश्यकतानुसार बैठक होगी तथापि वर्ष में कम-से-कम एक बार बैठक होगी।

4. उप समितियां

समिति अधिक से अधिक पांच उप समितियों की नियुक्ति कर सकती है जिनमें अधिक से अधिक पांच सदस्य होंगे। भारतीय राष्ट्रीय समितियों के सदस्य ही उप समितियों के सदस्य बनने के पात्र हैं।

5. सचिवालय

भारतीय जलीय अनुसंधान समिति और इनकी उप समितियों का सचिवालय निदेशक, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

6. व्यय :

(क) सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता पर होने वाला व्यय उन स्रोतों से पूरा किया जाएगा जिनसे वे अपना वेतन प्राप्त करते हैं और गैर सरकारी सदस्यों पर होने वाला व्यय भारतीय राष्ट्रीय जल व अनुसंधान समिति की निधियों/अनुदानों से पूरा किया जाएगा।

(ख) सचिवालय के कार्यकलापों और उपर्युक्त 6 (क) में उल्लिखित पर होने वाला व्यय आर० एण्ड डी० प्लान प्रावधानों में वसूल किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हस्ताक्षर अपठनीय
अवर सचिव

विषय :—जल विज्ञान संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति का पुनर्गठन।

सं० के० ज० आ०/10/9/93-आर० एण्ड डी०/52—जल विज्ञान संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति के पुनर्गठन के संबंध में पहले के संकल्प/आदेश सं० 21/3/89-स्था० दो दिनांक 21-3-1989 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार निम्नलिखित संरचना, कार्यों और संबद्ध प्रावधानों के साथ समिति का पुनर्गठन करती है —

1. संरचना

अध्यक्ष

(क) अध्यक्ष	केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली

कार्यकारी-सदस्य

(ख) निदेशक	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की

सदस्य

(ग) उप महानिदेशक जिसका नामांकन महानिदेशक द्वारा किया जाना है	भूविज्ञान संस्थान, 27, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, कलकत्ता—700016.
(घ) अध्यक्ष	केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड जामनगर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली
(ङ) उप महानिदेशक जिसका नामांकन महानिदेशक द्वारा किया जाना है	भारतीय मौसम विभाग, मौसम भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

(च) वैज्ञानिक "ई" — भारतीय रिमोट सैंसिंग एजेंसी, बालानगर, हैदराबाद

(छ) तीन केन्द्रीय संगठनों के प्रतिनिधि जो मुख्य अभियंता से नीचे के पद के न हों

(झ)

(ञ) छः राज्यों के प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से नीचे के पद के न हों

(ण)

(त) जल विज्ञान क्षेत्र में कार्यरत तीन प्रसिद्ध शिक्षाविद् जो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हों

(द) (क्रम सं० 7 से 18 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा ।

(ध) अध्यक्ष — भारतीय जल विज्ञान ऐसोसिएशन, रुड़की

(न) निदेशक — अनुसंधान एवं विकास एवं विशिष्ट विश्लेषण (के०ज०आ०) एवं प्रमुख विषय वस्तु प्रभाग

सदस्य-सचिव

(प) वैज्ञानिक "ई" — राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की

2. समिति के कार्य निम्न प्रकार होंगे :—

2.1 (क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को जल विज्ञान से संबंधित मामलों में सलाह देना ।

(ख) समिति को परामर्श देने हेतु विशेष समस्याओं पर विचार करने के लिए विशेष कार्यदल/विशेषज्ञों का पैनल नियुक्त करना ।

2.2 (क) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित जानकारी एकत्र करके जल विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में नवीनतम विकास को समय-समय पर तैयार और इसे अद्यतन करना ।

(ख) जल विज्ञान के विकास के ऐतिहासिक मूल्यांकन का अध्ययन करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए परिप्रेक्ष्य आयोजन आरंभ करना ।

(ग) पत्रिकाओं, अनुसंधान संबंधी समाचारों/सार-संग्रह का प्रकाशन करके जल विज्ञान से संबंधित जानकारी का प्रचार-प्रसार करना ।

2.3 (क) जल विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के गुणवत्ता मान्यता केन्द्रों को मान्यता देने की सिफारिश करना और उनके लिए केन्द्रीय वित्त की व्यवस्था करने की सिफारिश करना ।

(ख) जल विज्ञान संस्थाओं के अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करने की सिफारिश करना ।

(ग) विभिन्न संस्थाओं के अनुसंधान कार्यक्रमों में परस्पर व्याप्ति से बचने के लिए प्रभावी समन्वय बनाये रखना ।

(घ) मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जिससे कि अनुसंधान कर्मचारियों को विशेषज्ञता हासिल हो सके और उत्कृष्ट अनुसंधान कार्मिकों को प्रोत्साहन देने की सिफारिश करना

2.4 (क) देश में अनुसंधान कार्यकलापों के स्तर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर लाने के उद्देश्य से जल विज्ञान के ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जहां तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है अथवा जिसमें नई पद्धतियां लाने की जरूरत है ।

(ख) जल विज्ञान संबंधी मूल एवं प्रायोगिक अनुसंधान, क्रिया संबंधी अनुसंधान एवं अन्य क्षेत्रों के संबंध में देश की संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रमों को तैयार करना, समन्वय करना और वित्त की व्यवस्था करने की सिफारिश करना ।

(ग) ऐसे क्षेत्रों में, जिन्हें समिति द्वारा अभिवृद्धि/प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है, अनुसंधान अध्ययनों और विकासात्मक कार्यकलापों को शुरू करने के वास्ते राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देना, आवश्यकतानुसार समिति विशिष्ट विषय में अनुसंधान/विकास कार्य शुरू करने के लिए संस्थाओं को नामांकित कर सकती है ।

(घ) जल विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को शुरू करके सूचना का प्रचार-प्रसार, जनचेतना कार्यक्रम में हिस्सेदारी आदि के वास्ते स्वैच्छिक व्यावसायिक निकायों, गैर-वाणिज्यिक, गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना ।

(ङ) अन्य राष्ट्रीय समितियों/बोर्डों, संबंधित भारत सरकार/राज्य के मंत्रालयों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, इंजीनियरी महाविद्यालयों और पोलीटेकनीकों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ प्रभावी सहयोग बनाए रखना ।

(च) जल विज्ञान में प्रौद्योगिकी कार्य शुरू करने के वास्ते ऋण मुहैया करके देशी उद्योग को बढ़ावा देना ।

(छ) जल विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान योजनाओं के संबंध में कार्यकारी संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का प्रबोधन करना ।

2.5 (क) जल विज्ञान से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत की प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देना और समन्वय करना तथा आवश्यकतानुसार ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के लिए राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य करना ।

(ख) जल विज्ञान के क्षेत्र में शैक्षणिक और प्रशिक्षण एवं जनशक्ति विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और आयोजन करना ।

(ग) जल विज्ञान के क्षेत्र में गोष्ठियों/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करना, जन जागरूकता कार्यक्रमों को सहायता देना तथा अनुसंधान एवं विकास समीक्षा सत्रों को आयोजित करना ।

3. बैठक

समिति की आवश्यकतानुसार बैठक होगी यथापि वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी ।

4. उप समितियां

समिति अधिक से अधिक पांच उप समितियों की नियुक्ति कर सकती है जिसमें अधिक से अधिक पांच सदस्य होंगे । भारतीय राष्ट्रीय समितियों के सदस्य ही इन उप समितियों के सदस्य बनने के पात्र हैं ।

5. सचिवालय

भारतीय जल विज्ञान अनुसंधान समिति और इसकी उपसमितियों का सचिवालय निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा ।

6. व्यय

(क) सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता/महगाई भत्ता पर होने वाला व्यय उन स्रोतों से पूरा किया जाएगा जिनसे वे अपना वेतन

प्राप्त करते हैं और गैर-सरकारी सदस्यों पर होने वाला व्यय भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान संबंधी समिति की विधियों/अनुदानों से पूरा किया जाएगा ।

(ख) सचिवालय के कार्यकलापों और उपर्युक्त 6 (क) में उल्लिखित पर होने वाला व्यय आर० एण्ड डी० प्लान प्रावधानों से वसूल किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अनूप कुमार मुकर्जा
अवर सचिव

सं० के० ज० आ०/10/9/93—आर० एण्ड डी०/54—शिलायांत्रिकी एवं सुरंगन तकनीकी पर भारतीय राष्ट्रीय समिति के पुनर्गठन के संबंध में पहले के संकल्प /आदेश सं० 24/3/89—स्था० दो (ए) के दिनांक 31 मई, 1991 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार निम्नलिखित संरचना, कार्यों तथा सम्बद्ध प्रावधानों के साथ उक्त समिति का पुनर्गठन करती है :

1. संरचना

अध्यक्ष

(क) निदेशक	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला, नई दिल्ली

सदस्य

(ख) मुख्य अभियन्ता (अभि० एवं अनु०) जिसका नामांकन सदस्य (अभि० एवं अनु०) द्वारा किया जाता है ।	केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली
(ग) निदेशक (अभियांत्रिकी भूविज्ञान)	भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण कलकत्ता
(घ) वैज्ञानिक "ई"	राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
(ङ) निदेशक	राष्ट्रीय शिलायांत्रिकी संस्थान, कोलार
(च) निदेशक (सी० एम० आर० एस०) द्वारा नियुक्त व्यक्ति जिसका पद वैज्ञानिक "ई" से नीचे का न हो ।	निदेशक केन्द्रीय खनन अनुसंधान शाला, धनबाद
(छ) क्रमावर्तन आधार पर तीन जल विद्युत निगमों के प्रतिनिधि जिसका पद मुख्य अभियंता के पद से नीचे का न हो । (जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा)	छः राज्यों से (क्रमावर्तन के आधार पर)
(ज) निदेशक से राज्य अनुसंधान संस्थान/प्रयोगशाला (ण) (जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा)	
(त) शिलायांत्रिकी एवं सुरंगन तकनीकी के क्षेत्र में काम कर रहे तीन प्रसिद्ध शिक्षाविद् (जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा)	
(थ) अध्यक्ष	भारतीय शिलायांत्रिकी एवं सुरंगन तकनीकी सोसाइटी
(द) निदेशक (अनु० एवं विकास एवं विशिष्ट विश्लेषण)	केन्द्रीय जल आयोग एवं । प्रमुख विजय वस्तु प्रभाग

सदस्य-सचिव

(ध) मुख्य अनुसंधान अधिकारी	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली ।

2. समिति के कार्य निम्न प्रकार होंगे :—

2.1 (क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी से संबंधित मामलों में सलाह देना ।

(ख) समिति को परामर्श देने हेतु विशेष समस्याओं पर विचार करने के लिए विशेष कार्यदल/विशेषज्ञों का पैनल नियुक्त करना ।

2.2 (क) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित जानकारी एकत्र करके शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी की विभिन्न शाखाओं में नवीनतम विकास को समय-समय पर तैयार और इसे अद्यतन करना ।

(ख) शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी के विकास के ऐतिहासिक मूल्यांकन का अध्ययन करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान परिप्रेक्ष्य आयोजना आरंभ करना ।

(ग) पत्रिकाओं, अनुसंधान संबंधी समाचारों/सार-संग्रह का प्रकाशन करके शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी से संबंधित जानकारी प्रचार-प्रसार करना ।

2.3 (क) शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी की विभिन्न शाखाओं के गुणवत्ता केन्द्रों को मान्यता देने की सिफारिश करना और उनके लिए केन्द्रीय वित्त की व्यवस्था करने की सिफारिश करना ।

(ख) शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी संस्थाओं के अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करने की सिफारिश करना ।

(ग) विभिन्न संस्थानों के अनुसंधान कार्यक्रमों में परस्पर व्याप्ति से बचने के लिए प्रभावी समन्वय बनाये रखना ।

(घ) मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जिससे कि अनुसंधान कर्मचारियों को विशेषज्ञता हासिल हो सके और उत्कृष्ट अनुसंधान कर्मियों को प्रोत्साहन देने की सिफारिश करना ।

2.4 (क) देश में अनुसंधान कार्यकलापों के स्तर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के उद्देश्य से शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीक के ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जहां तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है अथवा जिसमें नई पद्धतियां लाने की जरूरत है ।

(ङ) शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी संबंधी मूल एवं प्रायोगिक अनुसंधान, क्रिया संबंधी अनुसंधान एवं अन्य क्षेत्रों के संबंध में देश की संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रमों को तैयार करना, समन्वय करना और वित्त की व्यवस्था करने की सिफारिश करना ।

(ग) ऐसे क्षेत्रों में, जिन्हें समिति द्वारा अभिवृद्धि/प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है, अनुसंधान अध्ययनों और विकासात्मक कार्यकलापों को शुरू करने वास्ते राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देना, आवश्यकतानुसार समिति विशिष्ट विषय में अनुसंधान/विकास कार्य शुरू करने के लिए संस्थाओं को नामांकित कर सकती है ।

(घ) शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को शुरू करके सूचना का प्रचार-प्रसार, जनचेतना कार्यक्रम में हिस्सेदारी आदि के वास्ते इंजीनियरिंग निकायों गैर-वाणिज्यिक, गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना ।

(ङ) अन्य राष्ट्रीय समितियों/बोर्डों, संबंधित भारत सरकार/राज्य के मंत्रालयों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, इंजीनियरी महाविद्यालयों और पोलीटेकनीकों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ प्रभावी सहयोग बनाए रखना ।

(च) शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी में औद्योगिकी कार्य शुरू करने के वास्ते ऋण मुहैया करके देशी उद्योग को बढ़ावा देना ।

(छ) शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान योजनाओं के संबंध में कार्यकारी संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का प्रबोधन करना ।

2.5 (क) शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत की प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देना और समन्वय करना तथा आवश्यकतानुसार ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के लिए राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य करना ।

(ख) शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी के क्षेत्र में शैक्षणिक और प्रशिक्षण एवं जनशक्ती विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और आयोजन करना ।

(ग) शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी के क्षेत्र में गोष्ठियों/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करना, जन जागरूकता कार्यक्रमों को सहायता देना तथा अनुसंधान एवं विकास समीक्षा सत्रों को आयोजित करना ।

3. बैठक

समिति की आवश्यकतानुसार बैठक होगी तथापि वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी ।

4. उपसमितियां

समिति अधिक से अधिक पांच उप-समितियों की नियुक्ति कर सकती है जिसमें अधिक से अधिक पांच सदस्य होंगे । भारतीय राष्ट्रीय समितियों के सदस्य ही इन उप-समितियों के सदस्य बनने के पात्र हैं ।

5. सचिवालय

भारतीय शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी समिति और इसकी उप-समितियों का सचिवालय निदेशक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा ।

6. व्यय

(क) सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता पर होने वाला व्यय उन स्रोतों से पूरा किया जाएगा जिससे वे अपना वेतन प्राप्त करते हैं और गैर सरकारी सदस्यों पर होने वाला व्यय भारतीय राष्ट्रीय शिलायांत्रिकी तथा सुरंगन तकनीकी संबंधी समिति की निधियों/अनुदानों से पूरा किया जाएगा ।

(ख) सचिवालय के कार्यकलापों और उपर्युक्त 6(क) में उल्लिखित पर होने वाला व्यय आर० एण्ड डी० प्लान प्रावधानों से वसूल किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ह० अपटलीय
अवर सचिव

सं० के० ज० आ० 10/9/93-आर० एण्ड डी०/5०—भारतीय राष्ट्रीय निर्माण सामग्री एवं संरचना समिति के गठन से संबंधित पूर्व संकल्प आदेश सं० 22/1/92-स्था० दो दिनांक 5 अगस्त 1992 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार निम्नलिखित संघटन, कार्यों तथा संबद्ध प्रावधानों के साथ उक्त समिति का पुनर्गठन करती है :

1. संघटन

अध्यक्ष

(क) निदेशक	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला, नई दिल्ली

सदस्य,

(ख) सदस्य (अभि० एवं अनु०) द्वारा नामित अभिकल्प एवं अनुसंधान) स्कंध के मुख्य अभियन्ता	केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
(ग) कार्यपालक अभियंता द्वारा नामित मुख्य अभियंता	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, नई दिल्ली
(घ) महानिदेशक	राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन सामग्री परिषद्, बल्लभगढ़ (हरियाणा)
(ङ) निदेशक	संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र, गाजियाबाद
(च) मुख्य अभियंता	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली
(छ) प्रमुख अभियंता अथवा	तीन राज्य
(ज) मुख्य अभियंता	(क्रमावर्तन आधार पर)
(झ) राज्य अनुसंधान से संस्थानों प्रयोगशालाओं	छः राज्य (क्रमावर्तन आधार पर)
(ञ) के निदेशक	
(ट) निर्माण सामग्री कंक्रीट	प्रौद्योगिकीसंरचनाओं के क्षेत्र में कार्यरत से तीन प्रसिद्ध शिक्षाविद
(ठ) (क्रम सं० सात से अठारह तक जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नामित किए जाएंगे ।	

सदस्य

(ङ) अध्यक्ष/सभापति	भारतीय निर्माण सामग्री एवं संरचना सोसाइटी
(च) निदेशक, अनुसंधान एवं विकास एवं विशिष्ट विश्लेषक	केन्द्रीय लोक आयोग तथा विषय वस्तु प्रभाग का प्रधान
सदस्य/सचिव	
(छ) मुख्य अनुसंधान अधिकारी	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला, नई दिल्ली

2. समिति के कार्य निम्नवत होंगे :

2.1 (क) निर्माण सामग्रियों, कंक्रीट प्रौद्योगिकी तथा संरचनात्मक अभियांत्रिकी से सम्बद्ध विषयों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों एवं उनकी एजेंसियों को परामर्श देना ।

(ख) समिति को परामर्श देने हेतु समस्याओं पर विचार करने के लिए विशेष कार्यबल विशेषज्ञों का पैनल नियुक्त करना ।

2.2 (क) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्बद्ध सूचनाओं के एकत्रीकरण और उनके प्रचार-प्रसार के माध्यम से निर्माण सामग्रियों कंक्रीट प्रौद्योगिकी एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी के विभिन्न क्षेत्रों में देश में हुए नवीनतम विकास को तैयार करना और उसे समय-समय पर अद्यतन करना ।

(ख) निर्माण सामग्रियों, कंक्रीट प्रौद्योगिकी तथा संरचनात्मक अभियांत्रिकी के विकास का ऐतिहासिक मूल्यांकन पर अध्ययन करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान हेतु परिप्रेक्ष्य आयोजना आरम्भ करना ।

(ग) जर्नल, अनुसंधान समाचार/डाइजेस्ट के प्रकाशन के माध्यम से निर्माण सामग्रियों एवं कंक्रीट प्रौद्योगिकी में संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार करना ।

2.3 (क) निर्माण सामग्री, कंक्रीट प्रौद्योगिकी तथा संरचनात्मक अभियांत्रिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केन्द्रों की मान्यता अनुशंसित करना और उनके लिए केन्द्रीय स्तर पर धनराशि उपलब्ध कराने की अनुशंसा करना ।

(ख) अनुसंधान संस्थाओं के अवसंरचनात्मक विकास हेतु धनराशि की व्यवस्था की अनुशंसा करना ।

(ग) विभिन्न संस्थाओं के अनुसंधान कार्यक्रमों में परस्पर व्याप्ति से बचने के लिए प्रभावकारी समन्वय बनाए रखना ।

(घ) मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जिससे कि अनुसंधान स्टाफ का विशिष्टीकरण हो, उत्कृष्ट अनुसंधान कर्मियों के उत्साहवर्धन की सिफारिश करना ।

2.4 (क) निर्माण सामग्री, कंक्रीट प्रौद्योगिकी तथा संरचनात्मक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में से बिन्दुओं को अभिज्ञात करना जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है अथवा जिनमें देश में अनुसंधान गतिविधियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने के लिए नये तरीके शुरू किए जाने हैं ।

(ख) मौलिक एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान, कार्रवाई अनुसंधान तथा निर्माण सामग्री, कंक्रीट प्रौद्योगिकी एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी में अनुसंधान से जुड़े अन्य क्षेत्रों में देश के संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान के कार्यक्रमों की धनराशि व्यवस्था तैयार करना, समन्वय करना तथा सिफारिश करना ।

(ग) समिति द्वारा अभिज्ञात अभिवृत्ति/प्राथमिकता के क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन एवं विकासात्मक गतिविधियां हाथ में लेने हेतु राष्ट्रीय संस्थानों को प्रोत्साहित करना । जहां आवश्यक हो वहां किसी विशेष विषय में अनुसंधान/विकास करने हेतु किसी संस्था को समिति स्वयं नामित कर सकती है ।

(घ) निर्माण सामग्री, कंक्रीट प्रौद्योगिकी एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां आरम्भ करने, ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने, जन-जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने, आदि में स्वयंसेवी पेशेवर निकायों, गैर-व्यवसायिक गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना ।

(ङ) अन्य राष्ट्रीय समितियों/बोर्डों संबंधित भारत सरकार राज्य के मंत्रालयों, सी० एस० आई० आर० के प्रयोगशालाओं, आई० आई० टी० इंजीनियरिंग कालेजों तथा पोलिटेक्निक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ प्रभावकारी सहयोग बनाए रखना ।

(च) देशी उद्योग को ऋण के माध्यम से निर्माण सामग्री, कंक्रीट प्रौद्योगिकी तथा संरचनात्मक अभियांत्रिकी में प्रौद्योगिकी विकास प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

(छ) निर्माण सामग्री, कंक्रीट प्रौद्योगिकी एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अनुसंधान स्कीमों पर निष्पादन संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का प्रबोधन करना ।

2.5 (क) निर्माण सामग्री, कंक्रीट प्रौद्योगिकी एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत की प्रभावकारी भागीदारी को बढ़ावा देना तथा समन्वय करना, तथा जहां अपेक्षित हो वहां ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के लिए राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य करना ।

(ख) निर्माण सामग्री, कंक्रीट प्रौद्योगिकी एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा मानवशक्ति विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ।

(ग) निर्माण सामग्री कंक्रीट प्रौद्योगिकी एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में गोष्ठियों/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करना, जन जागरूकता कार्यक्रम को सहायता देना तथा अनुसंधान एवं विकास समीक्षा सत्रों को आयोजित करना ।

3. बैठक

समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी, तथापि वर्ष में कम से कम एक बैठक आवश्यक होगी ।

4. उप-समितियां

समिति अधिकतम पांच उप-समितियां नियुक्त कर सकती है, जिनमें से प्रत्येक की सदस्य संख्या अधिकतम पांच हो सकती है । उप-समिति की सदस्यता भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्यों तक सीमित होगी ।

5. सचिवालय

भारतीय राष्ट्रीय निर्माण सामग्री एवं संरचना समिति तथा इसकी उप-समितियों का सचिवालय निदेशक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा ।

6. व्यय

(क) सरकारी सदस्यों को दिए जाने वाले यात्रा-व्यय उन्हीं स्रोतों से पूरा किया जाएगा जहां से वे अपने वेतन लेते हैं और गैर सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय भारतीय राष्ट्रीय निर्माण सामग्री एवं संरचना समिति के फंड अनुदान किया जाएगा ।

(ङ) सचिवालय की गतिविधियों तथा उपर्युक्त 6 (क) में उल्लिखित मदों से संबंधित व्यय अनुसंधान एवं विकास के योजना प्रावधानों के नामे डाला जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अनूप कुमार श्रीवास्तव
अवर सचिव

सं० के० ज० आ०/10/9/93-आर० एण्ड डी०/58—भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति के गठन से संबंधित पूर्व संकल्प/आदेश सं० 24/3/89-स्था० दो विभांक जून, 1990 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार निम्नलिखित संघटन, कार्यों तथा सम्बद्ध प्रावधानों के साथ उक्त समिति का पुनर्गठन करती है :—

1. संरचना

अध्यक्ष

(क) अध्यक्ष	केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली

सदस्य

(ख) सदस्य (जल योजना)	केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली
(ग) सलाहकार (आई०एण्ड सी० ए०डी०)	योजना आयोग नई दिल्ली
(घ) महानिदेशक या उनके द्वारा नामांकित जो वैज्ञानिक "एफ" के पद से नीचे का न हो	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
(ङ) निदेशक	जल प्रौद्योगिक केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
(च) निदेशक	जल अनुसंधान विकास प्रौद्योगिक केन्द्र, रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की ।
(छ) प्रमुख अभियंता से या	तीन राज्यों से क्रमावर्तन आधार पर
(झ) मुख्य अभियंता (जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा)	
(ञ) निदेशक इंजीनियरिंग से सिंचाई अनुसंधान	छः राज्यों से क्रमावर्तन आधार पर
(ट) प्रयोगशाला/संस्थान (जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा)	
(ठ) सिंचाई तथा जल निकास से (ड)	क्षेत्र में कार्यरत तीन प्रसिद्ध शिक्षाविद (जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नामित किए जाएँगे)
(ढ) अध्यक्ष	भारतीय जल संसाधन सोसाइटी
(ण) निदेशक	अनुसंधान एवं विकास एवं विशिष्ट विश्लेषण (के०ज०आ०) तथा प्रमुख विषय वस्तु प्रभाग

सदस्य-सचिव

(त) मुख्य सलाहकार अभियंता	सेपकोस, नई दिल्ली

2. समिति के कार्य निम्नवत होंगे :

2.1 (क) सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी से सम्बद्ध विषयों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों एवं उनकी एजेंसियों को परामर्श देना ।

(ख) समिति को परामर्श देने हेतु समस्याओं पर विचार करने के लिए विशेष कार्यदल/विशेषज्ञों का पैनल नियुक्त करना ।

2.2 (क) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्बद्ध सूचनाओं के एकत्रीकरण और उनके प्रचार-प्रसार के माध्यम से सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी के विभिन्न क्षेत्रों में देश में हुए नवीनतम विकास को तैयार करना और उसे समय-समय पर अद्यतन करना ।

(ख) सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी के विकास के ऐतिहासिक मूल्यांकन पर अध्ययन करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान हेतु परिप्रेक्ष्य आयोजन आरम्भ करना ।

(ग) जर्नल, अनुसंधान समाचार/डाइजेस्ट के प्रकाशन के माध्यम सिंचाई एवं जल निकास प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार करना ।

2.3 (क) सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केन्द्रों की मान्यता अनुशंसित करना और उनके लिए केन्द्रीय स्तर पर धनराशि उपलब्ध करने की अनुशंसा करना

(ख) अनुसंधान संस्थाओं के अक्षसरचनात्मक विकास हेतु धनराशि की व्यवस्था की अनुशंसा करना ।

(ग) विभिन्न संस्थाओं के अनुसंधान कार्यक्रमों में परस्पर व्याप्ति से बचने के लिए प्रभावकारी समन्वय बनाए रखना ।

(घ) मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जिससे अनुसंधान स्टाफ का विशिष्टीकरण हो तथा उत्कृष्ट अनुसंधान कर्मियों के उत्साहवर्धन की सिफारिश करना ।

2.4 (क) सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी के क्षेत्र में वैसे बिन्दुओं को अभिज्ञात करना जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने आवश्यकता है अथवा जिनसे देश में अनुसंधान गतिविधियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने के लिए नये तरीके शुरू किए जाने हैं ।

(ख) मौलिक एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान, कार्रवाई अनुसंधान तथा सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी में अनुसंधान से जुड़े अन्य क्षेत्रों में देश की संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान के कार्यक्रमों की धनराशि व्यवस्था तैयार करना, समन्वय करना तथा सिफारिश करना ।

(ग) समिति द्वारा अभिज्ञात अभिवृद्धि/आपातिकता के क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन एवं विकासात्मकगतिविधियां हाथों में लेने हेतु

राष्ट्रीय संस्थानों को प्रोत्साहित करना । जहां आवश्यक हो वहां किसी विशेष विषय में अनुसंधान/विकास करने हेतु किसी संस्था को समिति स्वयं नामित कर सकती है ।

(घ) सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां आरम्भ करने, ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने, जन-जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने, आदि में स्वयंसेवी निकायों, गैर-व्यावसायिक गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना ।

(ङ) अन्य राष्ट्रीय समितियों/बोर्डों, संबंधित भारत सरकार/राज्य के मंत्रालयों, सी० एस० आई० आर० के प्रयोगशालाओं, आई० आई० टी०, इंजीनियरिंग कालेजों तथा पोलिटेक्निक संस्थाओं विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के साथ प्रभावकारी सहयोग बनाये रखना ।

(च) देशी उद्योग को ऋण के माध्यम से सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी में प्रौद्योगिकी विकास प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

(छ) सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अनुसंधान स्कीमों पर निष्पादन संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का प्रबोधन करना ।

2.5 (क) सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत की प्रभावकारी भागीदारी को बढ़ावा देना तथा समन्वय करना, तथा जहां अपेक्षित हो वहां ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के लिए राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य करना ।

(ख) सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी के क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा मानवशक्ति विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ।

(ग) सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी के क्षेत्र में गोष्ठियों/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करना, जन जागरूकता कार्यक्रमों को सहायता देना तथा अनुसंधान एवं विकास समीक्षा सत्रों को आयोजित करना ।

3. बैठक

समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी, तथापि वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी ।

4. उप-समितियां

समिति अधिकतम पांच उप-समितियां नियुक्त कर सकती है, जिनमें से प्रत्येक की सदस्य संख्या अधिकतम पांच हो सकती है उप-समिति की सदस्यता भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्यों तक सीमित होगी ।

5. सचिवालय

भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति तथा इसकी उप-समितियों का सचिवालय प्रबन्ध निदेशक, वैपकोस, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा ।

6. व्यय

(क) सरकारी सदस्यों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते संबंधी व्यय उन्ही स्रोतों से पूरा किया जाएगा जहां से वे अपने वेतन लेते हैं तथा गैर सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति के फंड/अनुदान से किया जाएगा ।

(ख) सचिवालय की गतिविधियों तथा उपर्युक्त 6 (क) में उल्लिखित मदों से संबंधित व्यय अनुसंधान एवं विकास के योजना प्रावधानों के नामें डाला जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ह० अपठनीय
अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 17th January 1994

Subject : Reconstitution of Indian National Committee on Hydraulic Research. (INCH).

No. CWC/10/9/93-R&D/50.—In partial modification of earlier resolution/order No. 21/3/89-E.II(A) dated 29 Oct. 1990 relating to constitution of Indian National Committee on Hydraulic Research (INCH.), Government of India is pleased to reconstitute the committee with the following composition, functions and related provisions :

1. *Composition*

Chairman

(i) Director,
Central Water and
Power Research Station,
Pune.

Members

(ii) Chief Engr. of D&R
Wing to be nominated
by Member (D&R),
Central Water Commission,
New Delhi.

(iii) Chief Engr. of H.E.
Wing to be nominated
by Member (H.E.),
Central Electricity
Authority,
New Delhi.

(iv) Chief Engineer
to be nominated by Chairman,
Central Pollution Control Board,
Parivesh Bhavan,
CBD cum Office complex, East Arjun Ngr.
Shadhara, Delhi-110032.

(v) Vice Chairman,
Ganga Flood Control,
Commission, Sinchai,
Bhawan, Patna-800015.

(vi) A representative of
Indian Pump Manufacturer's
Association, Kakad Chambers,
Worli, Bombay-400018.

(vii) Engineer-in-Chief
Three States on
Rotational Basis.

(viii) or

(ix) Chief Engineer

(To be appointed for a term of 3 years by MOWR)

(x) Directors of Hydraulic
(xi) Research
(xii) Laboratories/Institutes,
Andhra Pradesh, Assam, Bihar,
Gujarat, Kerala, Karnataka, M.P.,
Maharashtra, Orissa, Punjab, Tamil Nadu,
Uttar Pradesh, West Bengal.

(xiii) Three eminent academicians working in the

(xiv) area of Hydraulic Research from among

(xiv) area of Hydraulic Research from among Associations dealing with Hyderaulics.

(To be appointed for a term of 3 years by MOWR)

(xvi) President/Vice-President Indian Society for Hydraulics.

(xvii) Director (R&D & SA), Central Water Commission and Head Subject Matter Division.

Member-Secretary

(xviii) Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune.

2. Functions of the Committee shall be as Follows :

2.1 (i) To give advice to Central and State Governments and their agencies on matters related to Hydraulic Engineering.

(ii) To appoint special task force/expert panels to consider special problems to advise the commitee.

2.2 (i) To prepare and periodically update the state of art in the Country in different branches of Hydraulic Engineering by collecting relevant information from national and international organizations and disseminating the same.

(ii) To undertake studies on historical appreciation of Development of Hydraulic Engineering and introduce perspective planning for research in the field.

(iii) To disseminate information related to Hydraulic Engineering by way of publishing journals, research news/digests.

2.3 (i) To recommend recognition of Centres of Excellence in different branches of Hydraulic Engineering and recommend central funding thereof.

(ii) To recommend funding for the Infrastructural Development of Hydraulic Research Institutions.

(iii) To maintain effective co-ordination to avoid overlaps in the Research programmes of the different Institutions.

(iv) To promote programs for human resources development leading to specialization of Research Staff and recommend encouragement for the outstanding research personnel.

2.4 (i) To identify areas in the field of Hydraulic Engineering which need immediate attention or in which new methods are to be introduced for bringing the level of research activities in the country to international standards.

(ii) To prepare, co-ordinate and recommend funding of research programs to be taken by the institutions in the country on basic & applied research, action research, and other areas related to research in Hydraulic Engineering.

(iii) To encourage the national institutions to take up research studies and developmental activities in the fields which have been identified by the committee as thrust/priority areas; where necessary, the committee may itself nominate the institution for undertaking research/development in a specified subject.

(iv) To encourage voluntary professional bodies, Non-Commercial NGO's to take up R&D activities, dissemination of knowledge. participation in mass awareness program, etc. in Hydraulic Engineering.

(v) To maintain effective cooperation with other National Committees/Boards, related GOI/State Ministries, CSIR Labs, IIT's, Engineering Colleges and Polytechnics, Universities & other Academic Institutions.

(vi) To encourage indigenous industry through loans to take up technological development in Hydraulic Engineering.

(vii) To monitor the progress made by the executing institutions on research schemes in the field of Hydraulic Engineering.

2.5 (i) To promote and coordinate effective participation of India in the international programs related to Hydraulic Engineering and to act as national committee for such international bodies where required.

(ii) To promote Educational and Training and Manpower Development programs in the field of Hydraulic Engineering.

(iii) To arrange and conduct seminars/conferences/workshops, to support mass awareness programs, and to arrange R&D review sessions in the Hydraulic Engineering.

3. Meeting

The Committee will meet as and when necessary; however, there shall be at least one meeting in a year.

4. Sub-Committees

The Commitee may appoint a maximum of five sub-committees, each of which may have maximum five members. The membership of the sub-committee will be restricted to the members of the Indian National Committee.

5. Secretariat

The Secretariat of INCH and it's sub-committees will be under the administrative control of Director, CWPRS, Pune.

6. Expenditure :

(a) Expenditure on account of TA/DA to official members will be met from the sources from which they draw their salaries and that to non-official members will be met from the funds/grants of the Indian National Committee on Hydraulic Research

(b) Expenditure on account of activities of secretariat and those mentioned in 6(a) above, shall be chargeable to R&D Plan Provisions.

Ordered that the above resolution may be published in the Gazette of India.

A K. BARUA, Under Secy.

No. CWC/10/9/93-R&D/52.—In partial modification of earlier resolution/order No. 11/8/89-E.II. dated 24th April, 1989 relating to constitution of Indian National Committee on Hydrology (INCOH), Government of India is pleased to reconstitute the committee with the following composition, functions and related provisions.

1. *Composition*

Chairman

(i) Chairman, Central Water Commission New Delhi.

Ex-Member

(ii) Director, National Institute of Hydrology, Jal Vigyan, Bhawan, Roorkee-247667.

Members

(iii) Dy. Director General to be nominated by Director General, Geological Survey of India, 27, J. L. Nehru Marg, Calcutta-700016,

(iv) Chairman,
Central Ground Water Board,
Jamnagar House, Mansingh,
Road, New Delhi-110001.

(v) Dy. Director,
General to be nominated by
Director General,
India Meteorological Deptt.
Mausam Bhawan, Lodhi Road,
New Delhi-110003.

(vi) Scientist 'E',
National Remote Sensing
Agency, Balanagar,
Hyderabad.

(vii) to (ix) Representative of three Central Organisations not below the rank of Chief Engineer, related to the field of Hydrology.

(To be appointed for a term of three years by MOWR)

(x) to (xv) Representative of Six States not below the rank of Director.

(To be appointed for a term of three years by MOWR)

(xvi) to (xviii) Three eminent academicians working in the field of hydrology from among the members of National/International Associations dealing with Hydrology.

(To be appointed for a term of three years by MOWR)

(xix) President,
Indian Association of Hydrologists,
Roorkee

(xx) Director,
R&D & SA,
Central Water Commission and
Head Subject Matter
Division

(xxi) Scientist "E",
National Institute of Hydrology,
Roorkee.

Member Secretary

2. Functions of the Committee shall be as Follows :

2.1 (i) To give advice to Central and State Governments and their agencies on matters related to Hydrology.

(ii) To appoint special task force/expert panels to consider special problems to advise the committee.

2.2 (i) To prepare and periodically update the state of art in the Country in different branches of Hydrology by collecting relevant information from national and international organisations and disseminating the same

(ii) To undertake studies on historical appreciation of Development of Hydrology and introduce perspective planning for research in the field.

(iii) To disseminate information related to Hydrology by way of publishing journals, research news/digests.

2.3 (i) To recommend recognition of Centres of Excellence in different branches of Hydrology and recommend central funding thereof.

(ii) To recommend funding for the Infrastructural Development of Hydrological Research Institutions.

(iii) To maintain effective co-ordination to avoid overlaps in the Research programs of the different Institutions.

(iv) To promote programs for human resources development leading to speculation of Research staff and recommend encouragement for the outstanding research personnel.

2.4 (i) To identify areas in the field of Hydrology which need immediate attention or in which new methods are to be introduced for bringing the level of research activities in the country to international standards.

(ii) To prepare, co-ordinate and recommend funding of research programs to be taken by the institutions in the country on basic & applied research, action research, and other areas related to research in Hydrology.

(iii) To encourage the national institutions to take up research studies and developmental activities in the fields which have been identified by the committee as thrust/priority areas; where necessary, the committee may itself nominate the institution for undertaking research/development in a specified subject.

(iv) To encourage voluntary professional bodies, Non-Commercial NGO's to take up R&D activities, dissemination of knowledge, participation in mass awareness program, etc. in Hydrology.

(v) To maintain effective cooperation with other National Committees/Boards, related GOI/State Ministries, CSIR Labs, IIT's, Engineering Colleges and Polytechnics, Universities & other Academic Institutions.

(vi) To encourage indigenous industry through loans to take up technological development in Hydrology.

(vii) To monitor the progress made by the executing institutions on research schemes in the field of Hydrology.

2.5 (i) To promote and coordinate effective participation of India in the international programs related to Hydrology and to act as national committee for such international bodies where required.

(ii) To promote Educational and Training and Manpower Development programs in the field of Hydrology.

(iii) To arrange and conduct seminars/conferences/workshops, to support mass awareness programs, and to arrange R&D review sessions in the Hydrology.

3. Meeting

The Committee will meet as and when necessary; however, there shall be at least one meeting in a year.

4. Sub-Committees

The Committee may appoint a maximum of five sub-committees, each of which may have maximum of five members. The membership of the sub-committee will be restricted to the members of the Indian national Committee.

5. Secretariat

The Secretariat of INCOH and it's sub-committees will be under the administrative control of Director, NIH, Roorkee.

6. Expenditure :

(a) Expenditure on account of TA/DA to official members will be met from the sources from which they draw their salaries and that to non-official members will be met from the funds/grants of the Indian National Committee on Hydrology.

(b) Expenditure on account of activities of secretariat and those mentioned in 6(a) above, shall be chargeable to R&D Plan Provisions.

Ordered that the above resolution may be published in the Gazette of India.

A. K. BARUA, Under Secy.

No. CWC/10/9/93-R&D/54.—In partial modification of earlier resolution/order No. 24/3/89-E II(B) dated 31-5-91 relating to the constitu ion of Indian National Committee on Rock Mechanics and Tunneling Technology (INCRMTT), Government of India is pleased to reconstitute the Committee with the following composition, functions & related provisions.

1. Composition :

Chairman

(i) Director,
Central Soil and
Materials Research Station, New Delhi.

Members

(ii) A Chief Engineer of D&R Wing to be nominated by Member (D&R),
Central Water Commission,
New Delhi.

(iii) Director (Engg. Geology),
Geological Survey of India,
Calcutta.

(iv) Scientist "E"—National Geo-physical
Research Institute, Hyderabad.

(v) Director,
National Ins itu'e of
Rock Mechanics, Kolar.

(vi) A nominee of Director,
CMRS not below the rank of
Scientist "E",
Central Mining Research
Station, Dhanbad.

(vii) Representatives of three Hydro-Electric
to Corporations not below the rank of Chief

(ix) Engineer on Rotational Basis.

(To be appointed for a term of three years by MOWR)

(x) Directors of State Research
to Institutions or Laboratories.

(xv) Six States on Rotational Basis.

(To be appointed for a term of 3 years by MOWR)

(xvi) to (xviii) Three eminent academicians working in the area of Rock Mechanics & Tunneling Technology.

(To be appointed for a term of 3 years by MOWR)

(xix) President
Indian Society for Rock
Mechanics & Tunneling Technology.

(xx) Director,
R & D & SA,
Central Water Commission and
Head SMD.

Member-Secretary

(xxi) Chief Research
Officer,
Central Soil and
Materials Research
Station, New Delhi.

2. Functions of the Committee shall be as Follows :

2.1 (i) To give advice to Central and State Governments and their agencies on matters related to Hydrology.

(ii) To appoint special task force/expert panels to consider special problems to advise the committee.

2.2 (i) To prepare and periodically update the state of art in the Country in different branches of Hydrology by collecting relevant information from national and international organisations and disseminating the same.

(ii) To undertake studies on historical appreciation of Development of Hydrology and introduce perspective planning for research in the field.

(iii) To disseminate information related to Hydrology by way of publishing journals, research news/digests.

2.3 (i) To recommend recognition of Centres of Excellence in different branches of Hydrology and recommend central funding thereof.

(ii) To recommend funding for the Infrastructural Development of Hydrological Research Institutions.

(iii) To maintain effective co-ordination to avoid overlaps in the Research programs of the different Institutions.

(iv) To promote programs for human resources development leading to specialisation of Research staff and recommend encouragement for the outstanding research personnel.

2.4 (i) To identify areas in the field of Rock Mechanics and Tunneling Technology which need immediate attention or in which new methods are to be introduced for bringing the level of research activities in the country to international standards.

(ii) To prepare, co-ordinate and recommend funding of research programs to be taken by the institutions in the country on basic & applied research, action research, and other areas related to research in Rock Mechanics and Tunneling Technology.

(iii) To encourage the national institutions to take up research studies and developmental activities in the fields which have been identified by the committee as thrust/priority areas; where necessary, the committee may itself nominate the institution for undertaking research/development in a specified subject.

(iv) To encourage voluntary professional bodies, Non-Commercial NGO's to take up R&D activities, dissemination of knowledge, participation in mass awareness programs, etc. in Rock Mechanics and Tunneling Technology.

(v) To maintain effective cooperation with other National Committees/Boards, related GOI/State Ministries, CSIR Labs, IIT's, Engineering Colleges and Polytechnics, Universities & other Academic Institutions.

(vi) To encourage indigenous industry through loans to take up technological development in Hydrology.

(vii) To monitor the progress made by the executing institutions on research schemes in the field of Hydrology.

2.5 (i) To promote and coordinate effective participation of India in the international programs related to Rock Mechanics and Tunneling Technology and to act as national committee for such international bodies where required.

(ii) To promote Educational and Training and Manpower Development programs in the field of Rock Mechanics and Tunneling Technology.

(iii) To arrange and conduct seminars/conferences/workshops, to support mass awareness programs, and to arrange R&D review sessions in the Rock Mechanics and Tunneling Technology.

3. Meeting

The Committee will meet as and when necessary; however, there shall be at least one meeting in a year.

4. Sub-Committees

The Committee may appoint a maximum of five sub-committees, each of which may have maximum of five members. The membership of the sub-committee will be restricted to the members of the Indian national Committee.

5. Secretariat

The Secretariat of INCOH and its sub-committees w.f. be under the administrative control of Director N.I.H. Roorkee.

6. Expenditure :

(a) Expenditure on account of TA/DA to official members will be met from the sources from which they draw their salaries and that to non-official members will be met from the funds/grants of the Indian National Committee on Rock Mechanics and Tunneling Technology.

(b) Expenditure on account of activities of secretariat and those mentioned in 6(a) above, shall be chargeable to R&D Plan Provisions.

Ordered that the above resolution may be published in the Gazette of India.

A. K. BARUA, Under Secy.

No. CWC/10/9/93-R&D/56.—In partial modification of earlier resolution/order No. 22/1/92-E.II dated 5th August 1992 relating to constitution of Indian National Committees on Construction Materials and Structures (INCCMS) Government of India is pleased to reconstitute the committee with the following composition, functions and related provisions.

1. Composition.

Chairman

(i) Director,
Central Soil and Materials Research Station, New Delhi.

Members

(ii) Chief Engineer of D&R Wing to be nominated by Member (D&R), Central Water Commission, New Delhi.

(iii) Chief Engineer to be nominated by Executive Director, National Hydro., Electric Corpn., New Delhi.

(iv) Director General, National Council for Cement and Building Materials, Ballabhgarh, Haryana.

(v) Director, Structural Engineering Research Centre, Ghaziabad.

(vi) Chief Engineer, Central Public Works Deptt., New Delhi.

(vii) Engineer-in-Chief

to or

(ix) Chief Engineer. Three States on Rotational basis.

(x) Directors of State
eo Research Institutes/

(xv) Laboratories, Six States, on Rotational basis.

(xv) Laboratories,
to field of construction materials/concrete

(xviii) technology/structures.

(Sl. No. vii to xviii to be appointed for a term of three years by MOWR)

(xix) President/Vice-President, Indian Society for Construction Materials and Structures.

(xx) Director (R&D&SA), Central Water Commission and Head Subject Matter Division.
Member-Secy.

(xxi) Chief Research Officer, CSMRS, New Delhi.

2. Functions of the Committee shall be as Follows :

2.1 (i) To give advice to Central and State Governments and their agencies on matters related to Construction materials, Concrete Technology and Structural Engineering.

(ii) To appoint special task force/expert panels to consider special problems to advice the committee.

2.2 (i) To prepare and periodically update the state of art in the Country in different branches of Construction Materials, Concrete Technology and Structural Engineering by collecting relevant information from national and international organizations and disseminating the same.

(ii) To undertake studies on historical appreciation of Development of Construction Materials, Concrete Technology and Structural Engineering and introduce perspective planning for research in the field.

(iii) To disseminate information related to Construction Materials, Concrete Technology and Structural Engineering by way of publishing journals, research news/digests.

2.3 (i) To recommend recognition of Centres of Excellence in different branches of Construction Materials, Concrete Technology and Structural Engineering and recommend central funding thereof.

(ii) To recommend funding for the Infrastructural Development of Research Institutions.

(iii) To maintain effective co-ordination to avoid overlaps in the Research programs of the different Institutions.

(iv) To promote programs for human resources development leading to specialization of Research Staff and recommend encouragement for the outstanding research personnel.

2.4 (i) To identify areas in the field of Construction Materials, Concrete Technology and Structural Engineering which need immediate attention or in which new methods are to be introduced for bringing the level of research activities in the country to international standards.

(ii) To prepare, co-ordinate and recommend funding of research programs to be taken by the institutions in the country on basic & applied research, action research, and other areas related to research in Construction Materials, Concrete Technology and Structural Engineering.

(iii) To encourage the national institutions to take up research studies and developmental activities in the fields which have been identified by the committee as thrust/priority areas; where necessary, the committee may itself nominate the institution for undertaking research/development in a specified subject.

(iv) To encourage voluntary professional bodies, Non-Commercial NGO's to take up R&D activities, dissemination of knowledge, participation in mass awareness programs, etc. in Construction Materials, Concrete Technology and Structural Engineering.

(v) To maintain effective cooperation with other National Committees/Boards, related GOI/State Ministries, CSIR Labs, IIT's Engineering Colleges and Polytechnics, Universities & other Academic Institutions.

(vi) To encourage indigenous industry through loans to take up technological development in Construction Materials, Concrete Technology and Structural Engineering.

(vii) To monitor the progress made by the executing institutions on research schemes in the field of Construction Materials, Concrete Technology and Structural Engineering.

2.5 (i) To promote and coordinate effective participation of India in the international programs related to Construction Materials, Concrete Technology and Structural Engineering and to act as national committee for such international bodies where required.

(ii) To promote Educational and Training and Manpower Development programs in the field of Construction Materials, Concrete Technology and Structural Engineering.

(iii) To arrange and conduct seminars/conferences/workshops, to support mass awareness programs, and to arrange R&D review sessions in the Construction Materials, Concrete Technology and Structural Engineering.

3. Meeting :

The Committee will meet as and when necessary, however, there shall be at least one meeting in a year.

4 Sub-Committees :

The Committee may appoint a maximum of five sub-committees, each of which may have maximum of five members. The membership of the sub-committee will be restricted to the members of the Indian National Committee.

5. Secretariat :

The Secretariat of INCCMS and its sub-committees will be under the administrative control of Director, CSMRS, New Delhi.

6. Expenditure :

(a) Expenditure on account of TA/DA to official members will be met from the sources from which they draw their salaries and that to non-official members will be met from the funds/grants of the Indian National Committee on Construction Materials and Structures.

(b) Expenditure on account of activities of secretariat and those mentioned in 6(a) above, shall be chargeable to R&D Plan Provisions.

Ordered that the above resolution may be published in the Gazette of India.

A. K. BARUA, Under Secy.

No. CWC/10/9/93-R&D/58.—In partial modification of earlier resolution/order No. 24/3/89-Estt.II dated June, 1990 relating to constitution of Indian National Committee on Irrigation & Drainage (INCID), Government of India is pleased to reconstitute the committee with the following composition, functions and other related provisions.

1. Composition :

Chairman

(i) Chairman,
Central Water Commission,
New Delhi.

Members

(ii) Member (WP),
Central Water Commission,
New Delhi.

(iii) Advisor (I&CAD),
Planning Commission,
New Delhi.

(iv) Director General or his nominee,
not below the rank of Scientist 'F',
Indian Council of
Agricultural Research Institute,
New Delhi.

(v) Director,
Water Technology Centre
Indian Agricultural
Research Institute,
New Delhi.

(vi) Director,
WRDTC, University of
Roorkee, Roorkee.

(vii) Engineer-in-Chief
to or

(ix) Chief Engineer,
Three States on
Rotational Basis.
(To be appointed for a term of 3 years)

(x) Directors of State,
to Research

(xv) Institutions or Laboratories/
Six States on Rotational basis.
(To be appointed for a term of 3 years)

(xvi) Three eminent academicians working in the area of Irrigation and Drainage.
(To be appointed for a term of 3 years)

(xix) President,
Indian Water Resources
Society, New Delhi.

(xx) Director,
(R&D&SA),
Central Water Commission,
and Head, Subject Matter
Division.

Member-Secy.

(xxi) Chief Consulting Engineer,
Water & Power Consultancy,
Services (India) Ltd.
New Delhi.

2. Functions of the Committee shall be as follows :

2.1 (i) To give advise to Central and State Governments and their agencies on matters related to Irrigation and Drainage.

(ii) To appoint special task force/expert panels to consider special problems to advise the committee.

2.2 (i) To prepare and periodically update the state of art in the Country in different branches of Irrigation and Drainage by collecting relevant information from national and international organisations and disseminating the same.

(ii) To undertake studies on historical appreciation of Development of Irrigation and Drainage and introduce perspective planning for research in the field.

(iii) To disseminate information related to Irrigation and Drainage by way of publishing journals, research news/digests.

2.3 (i) To recommend recognition of Centres of Excellence in different branches of Irrigation and Drainage and recommend central funding thereof.

(ii) To recommend funding for the Infrastructural Development of Irrigation Research Institutions.

(iii) To maintain effective co-ordination to avoid overlaps in the Research programs of the different Institutions.

(iv) To promote programs for human resources development leading to specialization of Research Staff and recommend encouragement for the outstanding research personnel.

2.4 (i) To identify areas in the field of Irrigation and Drainage which need immediate attention or in which new methods are to be introduced for bringing the level of research activities in the country to international standards.

(ii) To prepare, co-ordinate and recommend funding of research programs to be taken by the institutions in the country on basic & applied research, action research, and other areas related to research in Irrigation and Drainage.

(iii) To encourage the national institutions to take up research studies and developmental activities in the fields which have been identified by the committee as thrust/priority areas; where necessary, the committee may itself nominate the institution for undertaking research/development in a specified subject.

(iv) To encourage voluntary professional bodies, Non-Commercial NGO's to take up R&D activities, dissemination of knowledge, participation in mass awareness program, etc. in Irrigation and Drainage.

(v) To maintain effective cooperation with other National Committees/Boards, related GOI/State Ministries, CSIR Labs, IIT's, Engineering Colleges and Polytechnics, Universities & other Academic Institutions.

(vi) To encourage indigenous industry through loans to take up technological development in Irrigation and Drainage.

(vii) To monitor the progress made by the executing institutions on research schemes in the field of Irrigation and Drainage.

2.5 (i) To promote and coordinate effective participation of India in the international programs related to Irrigation and Drainage and to act as national committee for such international bodies where required.

(ii) To promote Educational and Training and Manpower Development programs in the field of Irrigation and Drainage.

(iii) To arrange and conduct seminars/conferences/workshops, to support mass awareness programs, and to arrange R&D review sessions in the Irrigation and Drainage.

3. Meeting

The Committee will meet as and when necessary, however, there shall be at least one meeting in a year.

4. Sub-Committees

The Committee may appoint a maximum of five sub-committees, each of which may have maximum of five members. The membership of the sub-committee will be restricted to the members of the Indian National Committee.

5. Secretariat

The Secretariat of INCID and its sub-committees will be under the administrative control of Managing Director, WAPCOS, New Delhi.

6. Expenditure :

(a) Expenditure on account of TA/DA to official members be met from the sources from which they draw their salaries and that to non-official members will be met from the funds/grants of the Indian National Committee on Irrigation and Drainage.

(b) Expenditure on account of activities of secretariat and those mentioned in 6(a) above, shall be chargeable to R&D Plan Provisions.

Ordered that the above resolution may be published in the Gazette of India.

A. K. BARUA, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1994
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi 1994